बिहार राजभाषा अधिनियम (आफिशल लैंग्वेज ऐक्ट,) 1950

(बिहार अधिनियम 39, 1950)

(इस अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति 13 नवम्बर, 1950 को प्राप्त हुई और यह अनुमति पहली बार 29 नवम्बर, 1950 के बिहार गजट में प्रकाशित हुई।)

बिहार राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त जानेवाली भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीभूत करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

चूँकि बिहार राज्य में शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त की जानेवाली भाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी को अंगीभूत करने का उपबंध करना समीचीन है;

अतः इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–

(1) यह अधिनियम बिहार राजभाषा अधिनियम (बिहार ऑफिशल लैंग्वेज ऐक्ट), 1950 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम करे और राज्य के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों एवं राज्य के विभिन्न भागों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी :–

परन्तु राज्य के किसी भाग के लिये इस उप–धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत तारीख या तारीखें उस तारीख से सात वष्र के बाद की नहीं होगी जिस तारीख को यह अधिनियम, उस पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के साथ शासकीय गजट में पहली बार प्रकाशित हुआ है।

2. राजभाषा – भारत संविधान के अनुच्छेद 345, 347 एवं 348 के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होनेवाली भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगा।

[Bihar Act XXXIX of 1950]

THE BIHAR OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1950

(This Act received the assent of the Governor on the 13th November 1950 and the assent was first published is the Bihar Gazette of the 29th November 1950.)

AN
AC**T**

TO PROVIDE FOR THE ADOPTION OF HINDI IN DEVANAGARI SCRIPT AS THE LANGUAGE TO BE USED FOR THE OFFICIAL PURPOSES OF THE STATE OF BIHAR.

Whereas it is expedient to provide for the adoption of Hindi in Devanagari script as the language to be used for official purposes of the State of Bihar;

It is hereby enacted as follows:--

1. Short title, extent and commencement. --- (1) This Act may be called the Bihar Official Language Act, 1950.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come intoforoe on such date is the State Government may by notification appoint for different parts of the State.

Provided that the date or dates appointed by the State Government under this subsection in respect of any of parts of the State shall not be later than seven years from the date on which this Act with the assent thereto of the competent authority is first published in the official Gazette.

2. Official language. ---Subject to the provisions of Articles 346, 347 and 348 of the Constitution of India, the language to be used for the official purposes of the State shall be Hindi in Devanagari script.